सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **250/2017** दायर दिनाँक **07.09.2017**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. चूनाराम पुत्र स्वर्गीय मालाराम, उम्र–57वर्ष, जाति–मेघवाल, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. सोहनलाल पुत्र स्वर्गीय रामकरण, 2. शांतिदेवी पुत्री स्वर्गीय रामकरण, 3. लक्ष्मीदेवी पुत्री स्वर्गीय रामकरण, 4. केसरदेवी पत्नी स्वर्गीय रामकरण, 5. मुकेश पुत्र स्वर्गीय शंकरलाल, 6. सरदार पुत्र स्वर्गीय शंकरलाल, 7. मायादेवी पत्नी स्वर्गीय शंकरलाल, 8. मनोहरदेवी पुत्री स्वर्गीय शंकरलाल, 9. सरोजदेवी पुत्री स्वर्गीय शंकरलाल, 10. सुनीतादेवी पुत्री स्वर्गीय शंकरलाल, 11. गुलाबीदेवी पुत्री स्वर्गीय घींसाराम, 12. गणपतराम पुत्र स्वर्गीय जेठाराम, 13. बनाराम पुत्र स्वर्गीय जेठाराम, 14. रामपाल पुत्र स्वर्गीय जेठाराम, 15. गोपाल पुत्र स्वर्गीय जेठाराम, 16. केला पुत्री स्वर्गीय जेठाराम, 17. राजू पुत्री स्वर्गीय जेठाराम, 18. सुगनीदेवी पत्नी स्वर्गीय जेठाराम, 19. भागीरथराम पुत्र स्वर्गीय हनुमानराम, 20. नोजादेवी पुत्री स्वर्गीय हनुमानराम,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–250/2017
दायर दिनाँक 07.09.2017, निणर्य दिनाँक 31.01.2018
चूनाराम बनाम् सोहनराम, वगैरा।

		21. सोहनदेवी पुत्री स्वर्गीय हनुमानराम, 22. प्रभुराम पुत्र स्वर्गीय मोहनराम, 23. चूनाराम पुत्र स्वर्गीय मोहनराम, 24. राधाकिशन पुत्र स्वर्गीय मोहनराम, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 25. नाथूराम पुत्र मोतीराम, जाति–मेघवाल, निवासी–मण्डूकरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 26. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–
1. श्री ईस्लामुदीन, वकील, वादी।

–:: **निर्णय** ::–

दिनाँक 31.01.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 25 की सहखातेदारी सुदा खेत ग्राम खरेश में खसरा नम्बर 223 रकबा 66.16 बीघा अवस्थित है, जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 25 का हक संयुक्त खातेदारी सुदा दर्ज है। नकल संलग्न है।

वादग्रस्त भूमि का मौखिक बन्टवारा हो चुका है परन्तु बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के नहीं है इसलिए विधिवत् बन्टवारा बाईमीट्स हेतु वाद पेश है।

वादग्रस्त भूमि में वादी की खातेदारी दर्ज है व वादी अपने हिस्से पर सींवें–नींवें कायम कर निर्बाध रूप से उपभोग करता आ रहा है। खसरा नम्बर 223 में से नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए से डी तक रकबा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–250/2017
दायर दिनाँक 07.09.2017, निर्णय दिनाँक 31.01.2018
चूनाराम बनाम् सोहनराम, वगैरा।

15.13 बीघा भूमि का बन्ट खातेदारी सुदा है। भँवरलाल पुत्र बगताराम ने अपने 1/4 हिस्से में से रकबा 21 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या 25 नाथूराम को बैचाण कर दी व शेष रकबा 15.13 बीघा को वादी को दिनाँक 19.11.2007 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के बैच दिया व कब्जा सुपुर्द कर दिया। इस भूमि रकबा 15.13 बीघा का वादी बन्टवारा चाहता है जिस पर वादी काबिज है।

वाद पेशगी के कुद दिन पूर्व दिनाँक 29.08.2017 को प्रतिवादीगण ने वादी को कहा कि रास्ते की तरफ की भूमि का प्रतिवादीगण प्लोटिंग करेंगे इसलिए वादी अपनी उक्त वर्णित भूमि से या तो अपना कब्जा हटा ले अन्यथा प्रतिवादीगण जबरन् ऐसा कर देंगे। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने के कारण ही वाद हेतुक मौजा खेरश उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद खरेश में खसरा नम्बर 223 रकबा 66.16 बीघा में से वादी का हिस्सा रकबा 15.13 बीघा नजरीनक्शा दर्शित बिन्दु ए बी सी डी वादी की भूमि का विधिवत् बन्टवारा किया जाकर उक्त अनुरूप बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स बन्टवारा किया जाकर उसी अनुरूप अमल दरामद किया जावे व शेंष भूमि का वर्तमान सह खातेदार प्रतिवादीगण की बदस्तूर रखी जावे और स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द करावे कि वादी के वादग्रस्त खसरान् में से नजरीनक्शा दर्शित भूमि खातेदारी सुदा, हक हिस्सा बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से होने पर वादी को प्राप्त मौके, भौतिक हिस्से में प्रतिवादीगण हस्तक्षेप, व्यवधान नहीं करे और न ही हस्तानान्तरण, बैचाण करे तथा दौराने वाद किये गये समस्त बैचाण व बेदखल, अतिक्रमण को निरस्त व खारिज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 26 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 26 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद के समर्थन में, वादी ने शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी ग्राम खरेश सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 26/176 की प्रतिलिपि, विक्रय विलेख की छायाप्रति, राजस्व वाद संख्या 117/17 निर्णय दिनाँक 10.07.2017 की छायाप्रति, पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

साक्ष्य वादी में वादी व लालाराम पुत्र अनोपाराम जाति नाली निवासी खरेश तथा मदनलाल पुत्र जैरामाराम जाति मेघवाल निवासी खरेश के शपथ–पत्र, पेश हुए।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकील वादी दावानुसार व नजरीनक्शा अनुसूची "अ" मुताबिक दावा डिक्री चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकार दावानुसार, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" के परिप्रेक्ष्य में खातेदारी चाहते है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। नजरीनक्शा अनुसूची "अ" के परिप्रेक्ष्य में दावा डिकी किया जाना हमारे मत मे उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", के परिप्रेक्ष्य में, वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद खरेश में खसरा नम्बर 223 रकबा 66.16 बीघा भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, इस खसरे की भूमि में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क ए बी सी डी की भूमि रकबा 15.13 बीघा का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस खसरे की शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्रा अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 31.01.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 250/2017 दायर दिनाँक 07.09.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. चूनाराम पुत्र स्वर्गीय मालाराम, उम्र–57वर्ष, जाति–मेघवाल, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सोहनलाल पुत्र स्वर्गीय रामकरण, 2. शांतिदेवी पुत्री स्वर्गीय रामकरण, 3. लक्ष्मीदेवी पुत्री स्वर्गीय रामकरण, 4. केसरदेवी पत्नी स्वर्गीय रामकरण, 5. मुकेश पुत्र स्वर्गीय शंकरलाल, 6. सरदार पुत्र स्वर्गीय शंकरलाल, 7. मायादेवी पत्नी स्वर्गीय शंकरलाल, 8. मनोहरदेवी पुत्री स्वर्गीय शंकरलाल, 9. सरोजदेवी पुत्री स्वर्गीय शंकरलाल, 10. सुनीतादेवी पुत्री स्वर्गीय शंकरलाल, 11. गुलाबीदेवी पुत्री स्वर्गीय घींसाराम, 12. गणपतराम पुत्र स्वर्गीय जेठाराम, 13. बनाराम पुत्र स्वर्गीय जेठाराम, 14. रामपाल पुत्र स्वर्गीय जेठाराम, 15. गोपाल पुत्र स्वर्गीय जेठाराम, 16. केला पुत्री स्वर्गीय जेठाराम, 17. राजू पुत्री स्वर्गीय जेठाराम, 18. सुगनीदेवी पत्नी स्वर्गीय जेठाराम, 19. भागीरथराम पुत्र स्वर्गीय हनुमानराम, 20. नोजादेवी पुत्री स्वर्गीय हनुमानराम, 21. सोहनदेवी पुत्री स्वर्गीय

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		हनुमानराम, 22. प्रभुराम पुत्र स्वर्गीय मोहनराम, 23. चूनाराम पुत्र स्वर्गीय मोहनराम, 24. राधाकिशन पुत्र स्वर्गीय मोहनराम, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 25. नाथूराम पुत्र मोतीराम, जाति–मेघवाल, निवासी–मण्डूकरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 26. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **31.01.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ईस्लामुदीन, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद खरेश में खसरा नम्बर 223 रकबा 66.16 बीघा भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, इस खसरे की भूमि में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क ए बी सी डी की भूमि रकबा 15.13 बीघा का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस खसरे की शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्रा अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत................ ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **31.01.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner